



प्रेषक,

कुलदीप श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4

लखनऊ :: दिनांक 19 अगस्त, 2026

विषय: पिम एक्ट (PIM ACT) से अच्छादित शारदा सहायक संगठन के अन्तर्गत 07 खण्डों (शा०स०खण्ड-28 हैदरगढ़, शा०स० खण्ड-36 जौनपुर, शा०स० खण्ड-41 अमेठी, शा०स० खण्ड-45 रायबरेली, शा०स० खण्ड-49 सुल्तानपुर, शा०स० खण्ड-51 प्रतापगढ़, सिंचाई खण्ड, सुल्तानपुर) में जल उपभोक्ता समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-337/स०सि०प्र०प्र०/निर्वा०कार्य०, दिनांक 31.07.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम-2009 एवं संगत नियमावली-2010 के अनुलग्नक-‘ग’ के प्रस्तर-16 के प्राविधानानुसार चुनाव अधिकारी/ मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ द्वारा शारदा सहायक संगठन के अधीनस्थ 07 खण्डों (शा०स०खण्ड-28 हैदरगढ़, शा०स० खण्ड-36 जौनपुर, शा०स० खण्ड-41 अमेठी, शा०स० खण्ड-45 रायबरेली, शा०स० खण्ड-49 सुल्तानपुर, शा०स० खण्ड-51 प्रतापगढ़, सिंचाई खण्ड, सुल्तानपुर) में जल उपभोक्ता समितियों का निर्वाचन निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न कराये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

कुलाबा समिति के निर्वाचन का प्रस्तावित कार्यक्रम

क्र० सं०	कार्यक्रम	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण
		प्रस्तावित तिथि	प्रस्तावित तिथि	प्रस्तावित तिथि
1	चुनाव की अधिसूचना	25.09.2026	15.10.2026	13.11.2026
2	नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना	26.09.2026 से 01.10.2026 तक	16.10.2026 से 22.10.2026 तक	14.11.2026 से 20.11.2026 तक
3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	03.10.2026	23.10.2026	21.11.2026
4	नाम वापसी	07.10.2026 से 10.10.2026 तक अपराह्न 3:00 बजे तक	26.10.2026 से 30.10.2026 तक अपराह्न 3:00 बजे तक	23.11.2026 से 28.11.2026 तक अपराह्न 3:00 बजे तक
5	चुनाव चिन्ह का आवंटन	11.10.2026	02.11.2026	30.11.2026
6	कुलाबा समितियों का मतदान	26.10.2026	19.11.2026	15.12.2026
7	मतगणना एवं परिणाम की घोषणा	28.10.2026	21.11.2026	17.12.2026

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अल्पिका समिति के निर्वाचन का प्रस्तावित कार्यक्रम

क्र० सं०	कार्यक्रम	प्रथम चरण	द्वितीय चरण
		प्रस्तावित तिथि	प्रस्तावित तिथि
1	चुनाव की अधिसूचना	16.04.2027	05.05.2027
2	नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना	17.04.2027 से 22.04.2027 तक	08.05.2027 से 12.05.2027 तक
3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	23.04.2027	13.05.2027
4	नाम वापसी	24.04.2027 से 30.04.2027 तक अपराह्न 3:00 बजे तक	14.05.2027 से 20.05.2027 तक अपराह्न 3:00 बजे तक
5	चुनाव चिन्ह का आवंटन	01.05.2027	21.05.2027
6	अल्पिका समितियों का मतदान	16.05.2027	05.06.2027
7	मतगणना एवं परिणाम की घोषणा	18.05.2027	07.06.2027

राजबहा समिति के निर्वाचन का प्रस्तावित कार्यक्रम

क्र० सं०	कार्यक्रम	प्रथम चरण
		प्रस्तावित तिथि
1	चुनाव की अधिसूचना	21.06.2027
2	नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना	22.06.2027 से 26.06.2027 तक
3	नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा	28.06.2027
4	नाम वापसी	29.06.2027 से 04.07.2027 तक अपराह्न 3:00 बजे तक
5	चुनाव चिन्ह का आवंटन	06.07.2027
6	राजबहा समितियों का मतदान	21.07.2027
7	मतगणना एवं परिणाम की घोषणा	23.07.2027

3. उक्त निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम सम्पन्न कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त ।

**भवदीय
कुलदीप श्रीवास्तव
विशेष सचिव ।**

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या एवं दिनांक तैदव ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मण्डलायुक्त, लखनऊ/अयोध्या/वाराणसी/प्रयागराज।
2. जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी/अमेठी/सुल्तानपुर/प्रतापगढ़/जौनपुर/रायबरेली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्तानुसार निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के निर्वाचन अधिकारियों को वांछित आवश्यक सहयोग एवं चुनाव संसाधन उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ ।
4. निदेशक पिम एवं मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (परि० एवं० शोध), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र० लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (मध्य), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
6. चुनाव अधिकारी/मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
8. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता (वाल्मी), उत्तरेटिया, लखनऊ।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव ।